(वाद सं0– 6037/4/26/2021)

12.07.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक, रेल पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पटना को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को दिनांक–20.07.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 के लाभ की स्वीकृति अन्य 22 (बाईस) कर्मियों के साथ दी जा चुकी है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि विलम्ब से एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के कारण विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। उसकी ओर से विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान का अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त पर राज्य आयोग द्वारा परिवादी को आज अपने मामले के समर्थन में राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

भविष्य निधि को छोड़कर अन्य किसी सरकारी पावना में विलम्बित अवधि में ब्याज दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बिहार, पटना **के प्रतिवेदन (पृष्ठ 19–09/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।**

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक